भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं0 148
उत्तर देने की तारीख - 16 अगस्त, 2013

इंटरनेट की गति

***148. डा0 वी0 मैत्रेयन :**

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012' का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2015 तक मांग किए जाने पर सस्ता और भरोसेमंद ब्रॉडबैंड मुहैया कराना और वर्ष 2017 तक 175 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन और वर्ष 2017 तक 175 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन और वर्ष 2020 तक 600 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन कम से कम 2 एम0बी0पी0एस0 डाउनलोड गति के साथ उपलब्ध कराने तथा मांग किए जाने पर कम से कम 100 एम0बी0पी0एस0 की उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है और यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है;

(ख) क्या भारत में इंटरनेट की औसत गति विश्व में सबसे धीमी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दण्डित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं जो इंटरनेट की वह गति प्रदान करने में विफल रहे हैं जिसका उन्होंने अपने प्रचार अभियानों और विज्ञापनों में वायदा किया था?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)

(क) से (ग) : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

जारी...2/-

राज्य सभा में **" इंटरनेट की गति "** के बारे में दिनांक 16.08.2013 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0 145 के भाग (क) से (ग) के संबंध में सभा-पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

(क): राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 (एनटीपी) - 2012 के उद्देश्यो में एक यह है कि देशभर में वहनीय, विश्वसनीय, सुरक्षित दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सेवाओं के जरिए अधिकतम सेवा-सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके तहत वर्ष 2015 तक मांग किए जाने पर वहनीय और विश्वसनीय ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना और वर्ष 2017 तक 175 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन का तथा वर्ष 2020 तक न्यूनतम 2एमबीपीएस गति पर 600 मिलयन ब्रॉडबैंड कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करना है।

सरकार ने ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के बीच "कनेक्टिविटी " अंतराल को जहां कहीं आवश्यक हो, पूरा के प्रयोजनार्थ ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), रेलटेल एवं पावरग्रिड के उपयोग और समवृद्धिक फाइबर बिछाकर देश में सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) स्थापित करने हेतु स्कीम को मंजूरी दी है। इस प्रकार सृजित डार्क फाइबर नेटवर्क से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 100 एमबीपीएस का बैंडविड्थ सुनिश्चित होगा।

(ख) और (ग) : यह कहना गलत है कि भारत में औसत इंटरनेट गति विश्व में सबसे कम है। कनेक्शन गति से संबंधित इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक पैरामीटर "ब्रॉडबैंड कनेक्शन गति डाउनलोड " निर्धारित किया है जिसका बैंचमार्क उपयोगकर्ता से सम्बद्ध आईएसपी नोड से >80% है। सभी सेवा प्रदाता अंडमान एवं निकोबार सेवा क्षेत्र में बीएसएनएल को छोड़कर इस पैरामीटर से संबंधित बैंचमार्क का अनुपालन कर रहे हैं। ट्राई ने विनिर्धारित बैंचमार्क प्राप्ति का अनुपालन न करने पर निम्नलिखित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय जुर्माना लगाया है।

क्र0सं0	सेवा प्रदाता
1	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)
2	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)
3	तिकोना
4	फाइव नेटवर्क्स
5	अत्रिया कन्वर्जेंस
6	सिफी

सरकार ने ब्रॉडबैंड नीति 2004 में निहित ब्रॉडबैंड की पूर्व परिभाषा को संशोधित करने संबंधी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। सरकार ने 256 केबीपीएस की न्यूनतम डाउनलोड गति को 512 केबीपीएस तक बढ़ाने के लिए ब्रॉडबैंड की संशोधित परिभाषा को अनुमोदन दे दिया है - जो एनटीपी-2012 में निहित उद्देश्य के अनुरुप है।

****